न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 03 सन 2020
अनवान :-

1. चिरजीलाल पुत्र बगडावत जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. हुकमसिह पुत्र बगडावत जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :- श्री सत्यनारायण कायल अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक :- 04/09/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 233/214 की कुल 7.400हैक भूमि दर्ज है जिसमें प्रार्थीगण संख्या 1 का 329/14800हिस्सा व प्रार्थी संख्या 2 का 329/14800हिस्सा का खातेदार काश्तकार है

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण चरणजीलाल पुत्र हाकमसिह दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम चिंरजीलाल व हुकमसिह पि0 बगडावत है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , डाईविग लाईसन्स एवं रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 178/160 व रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 460/475 सभी में वादी का नाम चिंरजीलाल व हुकमसिह पि0 बगडावत दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड खाता संख्या 233/214 में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद भूमि में वादी का नाम चिरणजीजाल पुत्र हाकमसिह के स्थान पर चिंरजीलाल व हुकमसिह पि0 बगडावत संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्राथ्री का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है ।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा सुरजनसार के खाता संख्या 233/214 की कुल 7.

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

400हैक्ट भूमि दर्ज है जिसमें प्रार्थीगण संख्या 1 का 329/14800हिस्सा व प्रार्थी संख्या 2 का 329/14800हिस्सा का खातेदार काश्तकार है

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण चरणजीलाल व हाकमसिह दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम चिंरजीलाल व हुकमसिह पि0 बगडावत है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , डाईविग लाईसन्स एवं रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 178/160 व रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 460/475 सभी में वादी का नाम चिंरजीलाल पुत्र हुकमसिह दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड खाता संख्या 233/214 में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी ने रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 233/214 की कुल 7.400हैक्ट भूमि दर्ज है जिसमें प्रार्थीगण संख्या 1 का 329/14800हिस्सा व प्रार्थी संख्या 2 का 329/14800हिस्सा का खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थी का नाम चरणजीलाल व हाकमसिह दर्ज है। वादी का कथन है कि उसका सही नाम चंरजीलाल व हाकमसिह है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , डाईविग लाईसन्स व रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 178/160 व रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 460/475सभी में वादी का नाम चंरजीलाल व हुकमसिह दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा सुरजनसर के खाता सख्या 233/214 की कुल 7.4000हैक्ट भूमि प्रार्थीगण का नाम क्रमसः चरणजीलाल व हाकमसिह दर्ज है के स्थान पर चिंरजीलाल व हुकमसिह पि0 बगडावत संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 4/9/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
नोहर

क्रमांक : राजस्व/रीडर/2020/136 LRA/3 दिनांक :- 04/09/2020

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :- प्रकरण संख्या 03/2020 अनवानी चिंरजीलाल बनाम सरकार में` पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

अनवान :-

1. चिरजीलाल पुत्र बगडावत जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. हुकमसिह पुत्र बगडावत जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।

प्रार्थीगण

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 03/2020 अनवानी चिरंजीलाल बनाम सरकार में दिनांक 04/09/20 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा सुरजनसर के खाता सख्या 233/214 की कुल 7.4000हैक भूमि प्रार्थीगण का नाम क्रमसः चरणजीलाल व हाकमसिह दर्ज है के स्थान पर चिंरजीलाल व हुकमसिह पि0 बगडावत संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)
नोहर (हनुमानगढ)
(नोहर)

Scanned with CamScanner